अनुसूची–14 फारम सं0.562

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम–126)

आदेश–पत्रक–ता0...से..तक

जिला गढ़वा...विविध वाद सं0.........05...सन 2020–21।

केस का प्रकार – अद्यतन करने के संबंध में।

आदेश की क्रम सं0 और तारिख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी तारीक्ष सहित।
1	2	3
18.07.2020	आवेदक बंशी प्रजापति वो रामबृक्ष प्रजापति पिता सुकर प्रजापति, ग्राम अम्बाखोरेया द्वारा आवेदन दिया गया है कि मौजा अम्बाखोरेया के खाता नं0 1/23 प्लॉट 197/922 रकबा 1.60 एकड़ का मांग गत सर्वे के अनुसार आवेदक के पिता सुकर कुम्हार पिता परमेश्वर कुम्हार के नाम पर चलता था। उक्त भूमि का हाल सर्वे में खाता सं0 157 प्लॉट नं0 517, 518 एवं 519 बना है जिसका खाता शिक्षा विभाग, मध्य विद्यालय अम्बाखोरया के नाम पर दर्ज हो गया है। आवेदकगण द्वारा इसके विरूद्ध डेविड सुनिल टोप्पो, राजस्व पदाधिकारी के शिविर न्यायालय नगर उंटारी में छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 87 के अन्तर्गत वाद संख्या 5596/01 के द्वारा अपील दायर किया। राजस्व पदाधिकारी ने इनके दावे को सही मानते हुए आवेदकगण के पक्ष में आदेश पारित किया। आवेदकगण के द्वारा फैसले के अनुरूप पंजी II में नाम दर्ज कर लगान रसीद निर्गत करने के लिए अनुरोध किया है। राजस्व उप निरीक्षक को आदेश दिया जाता है कि अंचल निरीक्षक के माध्यम से जॉच प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करें। अभिलेख दिनांक 28.07.2020 को प्रस्तुत करें। 18/07/2020 अंचल अधिकारी धुरकी।	
28.07.2020	अभिलेख उपस्थापित किया गया। हल्का कर्मचारी का जॉच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त हुआ। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक ने प्रतिवेदित किया है कि मौजा अम्बाखोरेया के खाता नं0 1/23 प्लॉट 197/922 रकबा 1.60 एकड़ का मांग गत सर्वे के अनुसार आवेदक के पिता सुकर कुम्हार पिता परमेश्वर कुम्हार के नाम पर मांग पंजी के पृष्ठ संख्या 67/1 पर चलता था। उक्त भूमि का हाल सर्वे में खाता सं0 157 प्लॉट नं0 517, 518 एवं 519 बना है जिसका खाता शिक्षा विभाग, मध्य विद्यालय अम्बाखोरया के नाम पर दर्ज हो गया है। आवेदकगण द्वारा इसके विरूद्ध डेविड सुनिल टोप्पो, राजस्व पदाधिकारी, के शिविर न्यायालय नगर उंटारी में छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 87 के अन्तर्गत वाद संख्या 5596/01 के द्वारा अपील दायर किया। राजस्व पदाधिकारी ने इनके दावे को सही मानते हुए आवेदकगण के पक्ष में आदेश पारित किया। राजस्व उप निरीक्षक ने प्रतिवेदित किया है कि उक्त भूमि वर्तमान में आवेदक के दखल कब्जे में है। अत: राजस्व पदाधिकारी के द्वारा दिये गये फैसले के आलोक में ग्राम अम्बाखोरेया के खाता सं0 157 प्लॉट 517 रकबा 0.40 एकड़ प्लॉट 518 रकबा 0.14 एकड़ 519 रकबा 0.62 एकड़ कुल 1.16 एकड़ भूमि शिक्षा विभाग विहार सरकार के नाम से पंजी II से हटाकर आवेदकगण वंशी प्रजापति वो रामबृक्ष प्रजापति पिता सुकर प्रजापति, ग्राम अम्बाखोरेया के नाम पर दर्ज करने की स्वीकृति.............दी जाती है। 28/07/2020 अंचल अधिकारी धुरकी।	

Scanned with CamScanner